रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2005/वैशाख 7, 1927

No. 173] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2005/VAISAKHA 7, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 249 (अ).—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,—

(i) श्री ए. आर. गुप्ते, अधिवक्ता, मुम्बई उच्च न्यायालय,

(ii) श्री सी. टी. जार्ज, अधिवक्ता, मुम्बई उच्च न्यायालय, और

(iii) श्रीमती ऊषा शिशोदिया, अधिवक्ता, मुम्बई उच्च न्यायालय,

को (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (ग) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), (घ) धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), (ङ) दान-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18), (च) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (छ) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), (ज) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52), (झ) चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) और (ञ) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन संस्थित मामलों का वृहत्तर मुम्बई में विशेष न्यायालयों, सेशन न्यायालय और अतिरिक्त सेशन न्यायालयों के समक्ष संचालन इस शर्त के अध्यधीन की ऊपर उल्लिखित अधिवक्ता किसी भी दांडिक मामले में केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के विरुद्ध किसी विशेष न्यायालय, सेशन न्यायालय या अतिरिक्त सेशन न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे, तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 23(2क)/2005-न्या.]

डी. आर. मीना, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2005

G.S.R. 249(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints,—

(i) Shri A.R. Gupte, Advocate, Mumbai High Court,

(ii) Shri C.T. George, Advocate, Mumbai High Court, and

(iii) Smt. Usha Sisodia, Advocate, Mumbai High Court,

as Special Public Prosecutors for the purpose of conducting cases instituted under (a) the Central Excises Act, 1944 (1 of 1944), (b) The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (c) The Companies Act, 1956 (1 of 1956), (d) The Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), (e) The Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), (f) The Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (g) The Customs Act, 1962 (52 of 1962), (h) The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), (i) The Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (7 of 1980) and (j) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) before the Special Courts, Sessions Court and Additional Session Courts in the Greater Mumbai for a period of three years or until further orders, whichever is earlier, subject to the condition that the above mentioned advocates shall not appear in any criminal case in any Special Court, Sessions Court or Additional Sessions Court against the Central Government or any officer of the Central Government or against any Department of the Central Government.

[F. No. 23 (2A)/2005-Judl.]

D.R. MEENA, Jt. Secy. & Legal Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.